निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 30/2020
दायरा दिनांकः–02.06.2020
निर्णय दिनांकः– 28.8.24

उनवान

1. कन्याबाई आयु 65 वर्ष पत्नी श्रीलाल
2 जगदीश आयु 45 वर्ष पुत्र श्रीलाल
3. नवल किशोर आयु 42 वर्ष पुत्र श्रीलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम भूलोन तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. श्रीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र जानकीलाल
2. जगमोहन आयु 40 वर्ष पुत्र श्रीलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम मूलोन तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 28.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायण लाल चौरसिया – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 183/179 की खसरा नंबर 141 कथा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 201 रकबा 01 बीघा 205 विस्वा, खसरा नंबर 203 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा खसरा नंबर 204 रकबा 02 बीघा 19 विस्वा, खसरा नंबर 375 रकबा 02 बिस्वा कुल पांच किता 16 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम भूलीन तहसील छबड़ा में स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में 1/4 में बंटवारा कर पंचनामा तहरीर कर दिया था। तब से आज तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/4 हिस्से के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। वादिया कम 1 प्रतिवादी कम 1 की पत्नी है तथा वादी कम 2 व 3 तथा प्रतिवादी कम 2 पुत्र है तथा प्रतिवादी कम 3 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी कम 1 के खाते की भूमि में होने से अपनी गलत प्रवृत्ति होने के कारण उक्त विवादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को दान, रहन व बेचान करने पर आमादा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से 1/4 अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण ने अपने खातेदारी की भूमि को अन्य व्यक्ति को दान, रहन कर दिया तो वादीगण को हिंदू उत्तराधिकार के अनुसार अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। उक्त विवादग्रस्त भूमि पैत्रक सम्पत्ति है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अपने दादा परदादा से प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण प्रतिवादी कम 1 के लीगल वैध वारिसान है। जिन्हें उक्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त भूमि में कानूनन बराबर–बराबर में बंटवारा कर अपना हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण ने वादीमण को धमकी दिनाक 15.05.2020 को दी कि उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान / हस्तांतरण करने की धमकी दी। वाद कारण अंतिम बार दिनाक 15.05.2020 को उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त भूमि सम्माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने एवं वाद कारण दिनांक 15.05.2020 को उत्पन्न होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 183/179 की खसरा नंबर 141 कबा 07 बीघा 02 विस्वा, खसरा नंबर 201 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 203 रकबा 04 बीघा 18 विस्वा, खसरा नंबर 204 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 375 रकबा 02 बिस्वा कुल पांच किता तादादी 16 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम भूलोन तहसील छबड़ा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 का 1/4–1/4 हिस्सा कब्जे काश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का बटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज किया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 183 फोटो प्रति आधार कार्ड नवल किशोर पुत्र श्रीलाल मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीलाल मृत्सु दिनांक 26.12.2001 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2032–35 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 कन्या बाई के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम वासियों की उपस्थिति में 1/4 में बटवारां कर दिया था तब से आज तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपनें हिस्से के अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है वादीया प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नि तथा वादी क्रम 2 व 3 एवं प्रतिवादी क्रम 2 पुत्र है प्रतिवादी क्रम 1 की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 अपने – अपने हिस्से 1/4 पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक विभाजन करा कर अलग खाता दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 183 में श्रीलाल पुत्र जानकीलाल का नाम दर्ज है नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2001 को होना अंकित है इससे यह साबित होता है कि दावा करते समय खातेदार श्रीलाल जिन्दा था। दौराने दावा खातेदारी श्रीलाल की मृत्यु हो गई। जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 है प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में जवाब व कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया। विवादित आराजी मृतक श्रीलाल के खातेदारी में थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

श्रीलाल की मृत्यु हो चुकी है वादीगण द्वारा श्रीलाल के खातेदारी की भूमि में अपना हिस्सा लेने के लिए वाद पत्र पेश करना चाहिये था। वादीगण खातेदार नही है वादीगण खातेदार नही होने पर बटवारा किया जाना सम्भव नही है। सह खातेदारान के मध्य बटवारा किया जाता है वादीगण खातेदार नही होने के बावजुद भी धारा 53 आर0टी0एक्ट में दावा पेश किया है वादीगण को खातेदारी प्राप्त करने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:41:08 IST
Reason: SelfAttested